कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

झारखण्ड सरकार

जिला– लातेहार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 13/2016–17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

2nd Call

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि नगर पंचायत, लातेहार अन्तर्गत दीन–दयाल अंत्योदय/राष्ट्रीय शहरी आपजिविका मिशन योजना के तहत प्रशिक्षित लाभुको को सिलाई मशीन/टूल किट्स उपलब्ध करायी जानी है। इच्छुक आपूतिकर्ता **दिनांक 02.03.2017 को अपराहन् 2.00 बजे तक** सिलाई मशीन/टूल किट्स आपूर्ति हेतु अपना निविदा मुहरबन्द लिफाफे में कार्यालय में जमा करेगें। प्राप्त निविदा को उसी दिन 3.00 बजे अपराहन् में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। आपूर्तिकर्ता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा समिति की बैठक में भाग ले सकते है। आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों का विवरण निम्नवत है।

विवरण

SL. NO.	Discription	Item No	Tender Fee	Security Money
01	SWEING MACHIN (Silai Machine) with Pawdan Make- Usha, Samrat, Khetan, Singar, Alit etc	92 pc	2,000.00	25,000.00
02	Beautician kitts with all Accessories Under Rs. 2500.00 (Two Thousand Five Hundred)	33 pc	1,000.00	5000.00
03	Electrician kitts with all Accessories Under Rs. 2500.00 (Two Thousand Five Hundred)	35 pc	1,000.00	5000.00

नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता को निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य होगा :–
   (क) सामग्रियों की विशिष्टियां (Specification fo Equipments) (ख) वांरटी अवधि (ग) अद्यतन पैन नम्बर एवं एकनॉलजमेंन्ट (घ) अद्यतन बिक्रिकर स्वच्छता प्रमाण पत्र (ङ.) आपूर्ति अनुभव से संबंधित दस्तावेज (च) झारखण्ड VAT Certificate & Registration Certificate.
2. इस निविदा में वाणिज्यकर में संबंधित वस्तुओं का निबंधन होना चाहिए, तथा अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्तिकर्ता को निविदा शुल्क के रूप में क्रमांक 01 के लिए 2000.00, क्रमांक 02 एवं 03 के लिए 1000.00 रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार** के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे लौटाया नही जायेगा।
4. आपूर्ति करने वाले उपकरणों/सामग्रियों से संबंधित दर (सभी करों सहित) अंकित करना होगा।
5. निविदादाता को मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक से इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/कम्पनी काली सूची में या रूग्न अवस्था में नही है तथा हर प्रकार के आरोपों एवं सभी प्रकार के सरकारी जांचों से मुक्त है।
6. निविदा के साथ अग्रधन की राशि का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा पासबुक, जमा करना होगा जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार** के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज्ड) रहेगा।
7. सुरक्षित जमा राशि समानों की सफल संचालन/वांरटी के समयावधि के पश्चात ही वापस की जाएगी।
8. सामग्रियों की विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
9. निविदादाता को क्रमांक 02 एवं 03 के लिए डाले जाने वाले निविदा में सामग्रियों की पूर्ण विवरणी अंकित करते हुये दर अंकित करना अनिवार्य होगा 2500.00 (दो हजार पांच सौ) रू0 से अधिक की नही होगी।
10. निविदा का निष्पादन नगर पंचायत, लातेहार के निविदा समिति के द्वारा किया जाएगा।
11. निविदादाता को सभी सामग्री की आपूर्ति नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में अपने खर्च पर करना होगा।
12. मोहर बन्द लिफाफे पर आपूर्तिकर्त्ता का नाम/पता सामग्री का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।
13. सामानों की आपूर्ति आदेश के एक माह के अन्दर करना होगा। अन्यथा निविदा में जमा की गई अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

14. बिना कारण बताएं किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
15. सशर्त्त निविदा स्वीकार नही होगा।
16. आपूर्तिकर्ता को सभी सामग्रियों के आपूर्ति हो जाने के उपरांत एक मुस्त राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही विपत्र की राशि से वैट एवं आयकर की राशि की कटौती के उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
17. संबंधित विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायालय में मान्य होगा।
18. कार्यालय अवधि में कार्यालय सूचना पट्ट/कार्यालय से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु लागु किये गये नियम एवं शर्तों को देखा जा सकता है, या लातेहार जिला के वेवसाईड www.latehar.nic.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है ।

17/2/17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।
17/2/17

ज्ञापांक 158 /दिनांक 17.2.17

प्रतिलिपि :– डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0 लातेहार को सुचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेवसाईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उपायुक्त, लातेहार को सादर सुचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः– निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

17/2/17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार
17/2/17